राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग

1944

संख्या /रा0नि0आ0--3/1125/2010 देहरादून, दिनांक 03.03.2011

## अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243-यक तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 13-ख एवं 43-ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, हरिश्चन्द्र जोशी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 124/IV(1)2011-57(सा)/2006 दिनांक 26 फरवरी, 2011 के क्रम में एतद्द्वारा शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1160/IV(1)/2010-57(सा)/2006 दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 में विनिर्दिष्ट जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित **नगर पालिका परिषद, टिहरी के आकस्मिक रूप से रिक्त अनारक्षित श्रेणी के अध्यक्ष** के पद का उप निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने का आदेश देता हूँ।

2. इस उप निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

| नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय | नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय | नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय | निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय | मतदान की तिथि व समय | मतगणना की तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | 23 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न 10.00बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 24 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न 10.00बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक) | 25 मार्च, 2011 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 05 अप्रैल, 2011 (प्रातः 08.00बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | 07 अप्रैल, 2011 (प्रातः 08.00बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

क्रमशः........2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

3. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल अपने जिले की नगर पालिका परिषद, टिहरी गढ़वाल के रिक्त **अनारक्षित श्रेणी** के अध्यक्ष पद पर उप निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक** 05.03.2011 को जारी करेंगे और उसको प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित नगर पालिका परिषद में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को उसकी सूचना दी जायेगी।

4. नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारी(रिटर्निंग आफिसर)/सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) द्वारा नगर पालिका परिषद पर अथवा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। नगर पालिका परिषद की मतगणना जिला मुख्यालय पर अथवा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर होगी।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहीत किये गये निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का संबंधित निकाय में व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

6. उक्त समय-सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 1944 (1)/ रा0नि0आ0-3/1125/2010 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

क्रमश:......3

सं. 1944,



8. प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
13. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
14. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
15. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय फोटोलिथो प्रेस, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को दिनांक 03 मार्च, 2011 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25(पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
17. आयोग के सूचना पट्ट पर रखने हेतु।
18. गार्ड फाईल।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।